

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 355/2024
अनवान : –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. अभिमन्यू पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. सुर्यमुखी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
उपस्थिति :—श्री रविन्द्र कुमार गोदादा अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक: 16/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.1510 है0 कृषि भूमि में सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 136/120 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.8090 है0 भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायलान के खेत रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 26/26 के प0 नं0 341/445 (16) किला नं. 7 की 0.1010 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.006 है0 व किला नं. 14 की 0.253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 एवं किला नं. 17 की 0.253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि में से होते हुए अपने खेत के प0 नं0 341/445 (16) के किला नं. 24 में प्रवेश कर आवागमन करता है। सायल को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है तथा वर्तमान में चालु है लेकिन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है इसलिए सायल गैरसायलान के प0 नं0 341/445 (16) किला नं. 7 की 0.1010 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.006 है0 व किला नं. 14 की 0.253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 एवं किला नं. 17 की 0.253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल को पत्र पेश किया

01
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की भूमि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 136/120 के प0 नं0 341/445 (16) किला नं. 7 की 0.1010 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.006 है0 व किला नं. 14 की 0253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 एवं किला नं. 17 की 0.253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.1510 है0 कृषि भूमि में सायल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 136/120 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.8090 है0 भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 136/120 के प0 नं0 341/445 (16) किला नं. 7 की 0.1010 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.006 है0 व किला नं. 14 की 0253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 एवं किला नं. 17 की 0.253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांक: रीडर/रास्ता/2024/615

दिनांक:- 18.6.24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना
पत्र स0-355/2024 निर्णय दिनांक 14/6/2024

प्रकरण संख्या - 355/2024

अनवान :-

1. जगदीश प्रसाद पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. अभिमन्यू पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. सुर्यमुखी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 355/2024 अनवान जगदीश बनाम अभिमन्यू आदि में निर्णय दिनांक 14/6/24 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे गैरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 136/120 के प0 नं0 341/445 (16) किला नं. 7 की 0.1010 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.006 है0 व किला नं. 14 की 0253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 एवं किला नं. 17 की 0.253 है0 भूमि के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर